

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-20/2016-

63(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर /रोहतास/कैमूर (भमुआ)
/गया/जहानाबाद /अरवल/नवादा/औरंगाबाद / सारण /सिवान/ गोपालगंज/
मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण /प० चम्पारण/ सीतामढ़ी / शिवहर /वैशाली/ दरभंगा
/मधुबनी /समस्तीपुर /बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई/ भागलपुर/
बाँका/सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/ अररिया /कटिहार /
खगड़िया।

विषय :

वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य मंत्री तीव्र विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में 4206.50 लाख रु० (बेयालीस करोड़ छः लाख पचास हजार रु०) की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 841.300 लाख रु० (आठ करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹8,41,29,000 (आठ करोड़ एकतालीस लाख उनतीस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3228 दिनांक-22.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य मंत्री तीव्र विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में 4206.50 लाख रु० (बेयालीस करोड़ छः लाख पचास हजार रु०) की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 841.300 लाख रु० (आठ करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹8,41,29,000 (आठ करोड़ एकतालीस लाख उनतीस हजार रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹8,41,29,000 (आठ करोड़ एकतालीस लाख उनतीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम-विपत्र कोड-P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5015 विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

63(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

63(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/निदेशक बिहार प्रमाणन एजेंसी बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण कोषांग कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी बीज ग्राम योजना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

63(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

मुख्य मंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3228 दिनांक-22.07.2016 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890117

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	29,67,000	29,67,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	22,23,000	22,23,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	20,47,000	20,47,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	17,17,000	17,17,000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	21,31,000	21,31,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।	20,22,000	20,22,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	26,79,000	26,79,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	7,99,000	7,99,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	3,86,000	3,86,000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	16,70,000	16,70,000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	30,88,000	30,88,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	47,02,000	47,02,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	26,62,000	26,62,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	32,93,000	32,93,000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	65,01,000	65,01,000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	23,03,000	23,03,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	18,77,000	18,77,000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	32,60,000	32,60,000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	12,09,000	12,09,000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	31,21,000	31,21,000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	26,98,000	26,98,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	30,38,000	30,38,000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	27,35,000	27,35,000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	23,26,000	23,26,000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	7,66,000	7,66,000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	9,29,000	9,29,000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	4,19,000	4,19,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	17,12,000	17,12,000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	19,65,000	19,65,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	22,13,000	22,13,000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	17,23,000	17,23,000
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	24,15,000	24,15,000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	19,55,000	19,55,000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	19,04,000	19,04,000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	12,49,000	12,49,000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	22,04,000	22,04,000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	18,39,000	18,39,000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	13,82,000	13,82,000
	कुल	8,41,29,000	8,41,29,000

कुल- (आठ करोड़ एकतालीस लाख उनतीस हजार रूप) मात्र।


(प्रमु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।